न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 45/2020 (2020/00110)

रामविलास पुत्र श्री हरनाथ उम्र करीब 44 वर्ष जाति अचारज (आचार्य)निवासी ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर —प्रतिवादी
2.आशा पुत्री श्री रामस्वरूप उम्र बालिग
3.ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल उम्र बालिग
4.कमला देवी पत्नि श्री रामस्वरूप जाति उम्र बालिग
5.कृष्णगोपााल पुत्र श्री सोहन उम्र बालिग
6.कान्ता पुत्री श्री रामस्वरूप उम्र बालिग
7.जगदीश पुत्र श्री रामस्वरूप उम्र बालिग
8.ताराचंद पुत्र श्री रामस्वरूप उम्र बालिग
9.प्रहलाद पुत्र श्री भज्जा उम्र बालिग
10.बदाम पत्नि श्री हरनाथ उम्र बालिग
11.मोहनी पत्नि श्री भंवरलाल उम्र बालिग
12.राजेन्द्र पुत्र श्री हरनाथ उम्र बालिग
13.लादू पुत्र श्री भज्जा उम्र बालिग
14.शिवराज पुत्र श्री हरनाथ उम्र बालिग
15.सन्तोक पुत्री श्री हरनाथ उम्र बालिग
16.सांवरिया पुत्र श्री हरनाथ उम्र बालिग
17.सीता पुत्री श्री भंवरलाल उम्र बालिग
18.हीरालाल पुत्र श्री हरनाथ उम्र बालिग
19.सोहन पुत्र भज्जा उम्र बालिग
सभी जाति अचारज (आचार्य)निवासीगण ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
20.ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ उम्र बालिग जाति मीणा
21.रामकुंवार पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र बालिग जाति मीणा
22.सुखलाल पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र बालिग जाति मीणा
23.श्यौजी पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र बालिग जाति मीणा
सभी निवासीगण ग्राम काशिया (नाहरबाड़ा)बिसलपुर तहसील देवली जिला टौंक

—प्रफोर्मा प्रतिवादी

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान टिनेसी एक्ट

उपस्थितः— श्री भंवरलाल शर्मा एडवोकेट —वकील वादी
श्री तहसीलदार केकड़ी —पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 7·4·2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कादेड़ा की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2069—72 मे दर्ज है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:47:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

(अ)

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
567–760	1639	0.38	चाही 2
	1640	0.39	चाही 2
	1684	0.27	चाही 2
	1685	0.26	चाही 2
	1688	0.02	गै.मु.खड्डा
	2338	0.15	चाही उत्तम
	2339	0.16	चाही उत्तम
	2340	0.17	चाही उत्तम
	2341	0.17	चाही उत्तम
	2342	0.02	गै.मु.चाह
	2343	0.04	चाही उत्तम
	2344	0.18	चाही उत्तम
	2351	0.47	चाही उत्तम
	2614	0.01	गै.मु.चाह
	332	1.60	बारानी 1
	333	1.54	बारानी 1
	335	0.24	बारानी 1
	336	0.25	बारानी 1
	337	0.30	बारानी 1
	338	0.22	बारानी 1
	340	0.27	बारानी 1
	341	0.26	बारानी 1
	345	0.35	बारानी 1
	346	0.35	बारानी 1
	347	0.42	बारानी 1
	351	0.81	बारानी 1
	427	0.90	बारानी 1
	428	0.40	बारानी 1
	कुल किता 28	10.60	

(ब)

596–1183	2643	0.01	गै.मु.चाह
	352	0.70	बारानी 1
	355	0.08	बारानी 1
	356	0.27	बारानी 1
	कुल किता 04	1.06	

(स)

598–757	2602	0.62	बारानी 1
	2603	0.20	बारानी 1
	2604	0.62	बारानी 1
	2605	0.56	बारानी 1
	2606	0.36	बारानी 1
	2607	0.12	बारानी 1
	2612	1.45	बारानी 1
	2615	0.09	बारानी 1
	2616	0.56	बारानी 1
	2617	[illegible]	बारानी 1
	2617 / 3525	[illegible]	बारानी 1
	[illegible]	[illegible]	बारानी 1
	[illegible]	[illegible]	गै.मु.चाह
	[illegible]	[illegible]	बारानी 1
	2639	[illegible]	गै.मु.चाह
	2640	0.19	बारानी 1
	2641	0.38	बारानी 1
	2642	0.18	बारानी 1
	कुल किता 18	6.78	

(द)

594–1180	2613	1.50	बारानी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:47:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 45 / 2020(2020 / 00110)
रामविलास पुत्र हरनाथ बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,व 209 आर0टी0ए0
निर्णय दिनांक 07.04.2021

खातेदार हरनाथ दत्तक पुत्र श्री मोहन आचार्य की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 2134 दिनांक 27.05.2014 से प्रफार्मा प्रतिवादीगण संख्या 9,11,14,15,16,18 के साथ वादी का नाम रामनिवास राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दिया गया है। वादी का नाम रामविलास पुत्र हरनाथ है जबकि सजरा मे रामनिवास नाम संवहन से दर्ज कर दिया गया है। नामान्तरकरण तस्दीक के समय वादी उपस्थित नहीं था इस कारण वादी निवेदन नहीं कर पाया। वादी के राशनकार्ड ,जनआधारकार्ड,आधार कार्ड व पहचान पत्र मे रामविलास नाम दर्ज है,दिनांक 29.05.2020 को वादी ने नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करी तब वादी को जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे गलत दर्ज हो गया है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को निवेदन किया कि वादी का नाम रामविलास है,रामनिवास नहीं इस कारण राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर दो किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने कोई सुनवाई नहीं की ,इस कारण यह वाद पेश करने की आवश्यकता हुई। वादी का नाम रामविलास राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 01 गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करे। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 02 से 23 को वादी का नाम रामविलास दर्ज करने मे व राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने मे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु जमाबंदी मे खातेदार होने के कारण प्रफार्मा प्रतिवादी संख्या 02 से 23 को पक्षकार बनाया गया है। वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 को 02 माह का विधिक नोटिस देकर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया तो वादी का वाद सारहीन हो जायेगा। वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 29.05.2020 को उत्पन्न हुआ जब वादी को जानकारी हुई कि राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम रामनिवास गलत दर्ज हो गया है। दिनांक 01.06.2020 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तत्पश्चात प्रतिपल उत्पन्न हो रहा है। विवादित आराजी ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद श्रवण करने का अधिकार है। वाद का मूल्यांकन वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड मे अंकन व स्थायी निषेधाज्ञा पर किया गया है। जिस पर नियमानुसार न्याय शुल्क प्रस्तुत है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाकर वादी के पक्ष मे व प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निम्न आशय की डिकरी पारित करने की कृपा करे। वाद पत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम रामविलास दर्ज किया जावे। व राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे रामविलास दर्ज करे। व गलत इन्द्राज के आधार पर कार्यवाही नहीं करे। अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय जो उचित समझे उक्त वाद की परिस्थितियों के अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 01 से दिलवाया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार केकड़ी–पैरोकार सरकार द्वारा बताया गया कि सरकारी हित प्रभावित नहीं होता है।

जवाब सरकार प्राप्त होने पर। वकील [illegible] की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री भंवरलाल शर्मा ने बहस प्रारंभ करते [illegible] आराजीयात मे वादी का नाम रामनिवास कर दिया गया है जबकि वादी का नाम रामविला[illegible]। अतः वादवर्णित आराजीयात मे वादी का नाम रामविलास दर्ज किया जाने के निर्णय व डिकरी पारित करवायी जावे। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी द्वारा बताया गया कि इससे सरकारी हित प्रभावित नहीं होता है अतः वादी का नाम वादवर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड मे रामनिवास के स्थान पर रामविलास कर दिया जाने मे कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:47:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 45/2020(2020/00110)
रामविलास पुत्र हरनाथ बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,व 209 आर0टी0ए0
निर्णय दिनांक 07.04.2021

निर्णय

वादी का वाद ग्राम कादेड़ा की जमांबदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या नया–पुराना 567–760 किता28 रकबा 10.6000 ,खाता संख्या नया–पुराना 596–1183 खसरा नंबर 2643 रकबा 0.0100 ,खाता संख्या नया–पुराना 597–1184 किता 03 रकवा 1.0500 ,खाता संख्या नया–पुराना 598–757 किता 18 रकबा 6.7800 खाता संख्या नया–पुराना 594–1180 खसरा नंबर 2613 रकबा 1.5000 है0 मे वादी का वाद अंतर्गत धारा 88,188,व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है, वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के तहत अन्य अनुतोष दिया जाकर वादी रामनिवास पुत्र हरनाथ के स्थान पर रामविलास पुत्र हरनाथ दर्ज किया जावे,अन्य इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:47:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner